

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ५२५ / 2023 दिनांक : ०५ .02.2023

श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक को दिनांक 28.10.2022 से 29.10.2022 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 22.10.2022 से 27.10.2022 एवं 30.10.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री जाखड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक के पद पर ही की गई।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 04.02.2023

कमांक:—स्था.बी.2(4)/110/2015/ 942

दिनांक 0५ .02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 13893 दिनांक 17.12.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ।


सहायक रजिस्ट्रार